



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २२ (२)]

सोमवार, जून २२, २०२६/आषाढ १, शके १९४८

[पृष्ठ ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २२ जून, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXXIV OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR
SCHEDULED CASTES ACT, 2025.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३४ सन् २०२६।

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ में संशोधन करने
संबंधि विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, २५ मई २०२६ को प्रख्यापित किया गया था;

सन् २०२५ का महा. ३७।
सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग(संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह २५ मई २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् २०२५ का महा. ३७ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५(जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की, धारा २ के खण्ड (ख) में “अध्यक्ष” शब्द के पश्चात्, “उपाध्यक्ष” शब्द निविष्ट किया जाएगा।

सन् २०२५ का महा. ३७।

सन् २०२५ का महा. ३७ की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (२) के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :-

“(क-१) उपाध्यक्ष, जिसे सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा ;”।

सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन और व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ एतद्द्वारा, २०२६ निरसित किया जाता है।

सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समजी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ (सन् २०२५ का महा. ३७) यह महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण और रक्षा करने तथा उनके कल्याण और विकास करने के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने के लिए उपबंध करती है, जो अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय आयोग के गठन के समान राज्य आयोग पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना भी ईष्टकर समझती है।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ में संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश २०२६ (सन् २०२६ का महा अध्या क्र. ३) २५ मई २०२६ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १६ जून, २०२६।

संजय शिरसाट,
सामाजिक न्याय मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २२ जून, २०२६।

जितेंद्र भोळे,
सचिव - १,
महाराष्ट्र विधानसभा।